

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

HON. SPEAKER: Now, Papers to be Laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Madam, I beg to lay on the Table: --

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi, for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6700/16/17]

...(Interruptions)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6701/16/17]

(2) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक - एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण)(पहला संशोधन) विनियम, 2016 जो 27 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/रग./1/138/2017 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ई-बीमा पॉलिसियों का निर्गम) (पहला संशोधन) विनियम, 2016 जो 9 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/रग./23/135/2016 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड से भिन्न विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का रजिस्ट्रीकरण और प्रचालन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो 9 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/रग./24/136/2016 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन या पारिश्रमिक या पुरस्कार का संदाय) विनियम, 2016 जो 20 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/रग./25/137/2016 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6702/16/17]

(3) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अंतर्गत साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमान तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थापन) संशोधन स्कीम, 2017 जो 8 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 370(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6703/16/17]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) सा.का.नि. 176(अ) जो 28 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेवाकर मामलों पर यथालागू केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11ग के अंतर्गत 01.07.2012 से

31.03.2015 तक की अवधि के लिए किसी संग्रहालय में प्रवेश हेतु सेवाओं पर वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अंतर्गत संदेय सेवाकर से छूट प्रदान करना है।

- (दो) सा.का.नि. 150(अ) जो 20 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेवाकर मामलों पर यथातानू केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11ग के अंतर्गत 01.07.2012 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए सामान्य बहः-स्राव शोधन संयंत्र के प्रवालकों द्वारा सेवाओं पर वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अंतर्गत संदेय सेवाकर से छूट प्रदान करना है।
- (तीन) सा.का.नि. 1200(अ) जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 दिसंबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 49/2008-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 1201(अ) जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित विभिन्न अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6704/16/17]

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) इंडस्ट्रियल इन्वैस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इविटी ग्रेगरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 31.12.2016 को समाप्त होने वाले तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) 31.12.2016 को समाप्त होने वाले तिमाही के लिए इंडस्ट्रियल इन्वैस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इविटी ग्रेगरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के बारे में परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 6705/16/17]

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) कुरियर आयात और निर्यात (निकासी) संशोधन विनियम, 2017 जो 3 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 192(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) का.आ. 309(अ) जो 31 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. 36/2001-सी.शु. (एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) अधिसूचना सं. 09/2017-सी.शु. (एन.टी) जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्यात के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) का.आ. 451(अ) जो 15 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. 36/2001-सी.शु. (एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) अधिसूचना सं. 12/2017-सी.शु. (एन.टी) जो 16 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्यात के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) का.आ. 665(अ) जो 28 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. 36/2001-सी.शु. (एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) अधिसूचना सं. 14/2017-सी.शु. (एन.टी) जो 2 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्यात के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि. 1198(अ) जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित 18 अधिसूचनाओं में

- कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नों) सा.का.नि. 1199(अ) जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. 69/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6706/16/17]

(7) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

- (एक) सा.का.नि. 1195(अ) जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 1197(अ) जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित विभिन्न अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6707/16/17]

(8) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की धारा 5 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1196(अ) जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6708/16/17]

(9) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) जीवन बीमा निगम अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों) संशोधन नियम, 2016 जो 13 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 29(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 9 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.207(अ) में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2016 जो 13 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 30(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 9 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.208(अ) में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6709/16/17]

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगन सिंह कुलस्ते): निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-**

(1) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2017 जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 103(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 31 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 76(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) चिकित्सीय उपकरण नियम, 2017 जो 31 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 78(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6710/16/17]

(2) भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1945 की धारा 16 की उपधारा (3) के अंतर्गत साधारण बीमा भारतीय नर्स परिषद् (कारबार संचालन विनियम), 2009 जो 15 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 11-1/2015-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6711/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, I beg to lay on the Table: --

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-

- (i) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Sixteenth Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. G.S.R.1042(E) in Gazette of India dated 4<sup>th</sup> November, 2016.
- (ii) G.S.R.1089(E) published in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> November, 2016 containing corrigendum to the Notification No. G.S.R. No.166(E) dated 15<sup>th</sup> February, 2016.
- (iii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. G.S.R.188(E) in Gazette of India dated 3<sup>rd</sup> March, 2017.
- (iv) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Eighteenth Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. G.S.R.1118(E) in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> December, 2016.
- (v) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Second Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. G.S.R.01(E) in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> January, 2017.
- (vi) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Fifteenth Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. G.S.R.16(E) in Gazette of India dated 10<sup>th</sup> January, 2017.
- (vii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. G.S.R.17(E) in Gazette of India dated 10<sup>th</sup> January, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 6712/16/17]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 241 of the Insolvency and Bankruptcy Code Act, 2016:-

- (i) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 published in Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG005 in Gazette of India dated 15<sup>th</sup> December, 2016.
- (ii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Engagement of Research Associates and Consultants) Regulations, 2017 published in Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG006 in Gazette of India dated 31<sup>st</sup> January, 2017.
- (iii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Procedure for Governing Board Meetings) Regulations, 2017 published in Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG007 in Gazette of India dated 31<sup>st</sup> January, 2017.
- (iv) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Advisory Committee) Regulations, 2017 published in Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG008 in Gazette of India dated 31<sup>st</sup> January, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 6713/16/17]

(3) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) Union Territories without Legislatures (Report No. 8 of 2017)-Compliance Audit Observations, for the year ended March, 2016 under Article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 6714/16/17]

(4) A copy of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.178(E) in Gazette of India dated 28<sup>th</sup> February, 2017 under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 6715/16/17]

...(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Madam, I beg to lay on the Table:

--

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health, Tezpur, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health, Tezpur, for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6716/16/17]